Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 28-2026] चण्डीगढ़, मंगलवार, दिनांक 14 जुलाई, 2026
(23 आषाढ, 1948 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग–I	**अधिनियम**	
	कुछ नहीं	
भाग–II	**अध्यादेश**	
	कुछ नहीं	
भाग–III	**प्रत्यायोजित विधान**	
	1. अधिसूचना संख्या, का०आ० 29/के०अ०46/2023/धा० 2/2026, दिनांक 13 जुलाई, 2026– पुलिस जिला, पूर्व, सोनीपत के सम्पूर्ण क्षेत्र की अधिकारिता रखने वाले साइबर अपराध पुलिस थाना, पुलिस जिला पूर्व, सोनीपत के सृजन करने बारे।	255—256
	2. अधिसूचना संख्या, का०आ० 30/के०अ०46/2023/धा० 2/2026, दिनांक 13 जुलाई, 2026– पुलिस जिला, गोहाना, सोनीपत के सम्पूर्ण क्षेत्र की अधिकारिता रखने वाले साइबर अपराध पुलिस थाना, पुलिस जिला गोहाना, सोनीपत के सृजन करने बारे।	257—258
	3. अधिसूचना संख्या, का०आ० 31/के०अ०46/2023/धा० 2/2026, दिनांक 13 जुलाई, 2026– पुलिस जिला, पश्चिम, सोनीपत के सम्पूर्ण क्षेत्र की अधिकारिता रखने वाले साइबर अपराध पुलिस थाना, पुलिस जिला पश्चिम, सोनीपत के सृजन करने बारे।	259—260
	4. अधिसूचना संख्या, का०आ० 32/के०अ०46/2023/धा० 2/2026, दिनांक 13 जुलाई, 2026– पुलिस जिला, बहादुरगढ़, झज्जर के सम्पूर्ण क्षेत्र की अधिकारिता रखने वाले साइबर अपराध पुलिस थाना, पुलिस जिला बहादुरगढ़, झज्जर के सृजन करने बारे।	261—262
	5. अधिसूचना संख्या, का०आ० 33/के०अ०46/2023/धा० 2/2026, दिनांक 13 जुलाई, 2026– पुलिस जिला, झज्जर के सम्पूर्ण क्षेत्र की अधिकारिता रखने वाले साइबर अपराध पुलिस थाना, पुलिस जिला, झज्जर के सृजन करने बारे।	263—264
भाग–IV	**शुद्धि पर्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन**	
	कुछ नहीं	

भाग–III

हरियाणा सरकार

गृह विभाग

अधिसूचना

दिनांक 13 जुलाई, 2026

संख्या का०आ० 29/के०अ०46/2023/धा० 2/2026.— भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का केन्द्रीय अधिनियम 46) की धारा 2 के खण्ड़ (प) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा सरकार, गृह विभाग, अधिसूचना संख्या, का0आ0 39/के0अ02/1974/धा0 2/2022, दिनांक 23 मई, 2022 के अधिक्रमण में, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का केन्द्रीय अधिनियम 21), भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का केन्द्रीय अधिनियम 45) तथा घटनाओं, जो उक्त अधिनियमों के अधीन अपराधों को करने या उसके किसी प्रयास/दुष्प्रेरण/षडयंत्र की ओर ले जाती है, का भागरुप बनने वाली किसी अन्य विधि के अधीन अपराधों के सम्बन्ध में पुलिस जिला पूर्व, सोनीपत के सम्पूर्ण क्षेत्र की अधिकारिता रखने वाले साइबर अपराध पुलिस थाना, पुलिस जिला पूर्व, सोनीपत के सृजन की घोषणा करते हैं। अधिकारिता रखने वाला पुलिस थाना उक्त अधिनियमों के अधीन अपराधों के पंजीकरण तथा अन्वेषण की समवर्ती शक्ति का प्रयोग करता रहेगा।

सुधीर राजपाल,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
गृह विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

HOME DEPARTMENT

Notification

The 13th July, 2026

No. S.O. 29/C.A. 46/2023/S. 2/2026.— In exercise of the power conferred under clause (u) of section 2 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Central Act 46 of 2023) and in supersession of Haryana Government, Home Department, notification No. S.O. 39/C.A.2/1974/S.2/2022, dated the 23rd May, 2022, the Governor of Haryana hereby declares the creation of Cyber Crime Police Station, Police District East, Sonipat having jurisdiction over the whole area of the Police District East, Sonipat, in respect of offences under the Information Technology Act, 2000 (Central Act 21 of 2000), the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (Central Act 45 of 2023) or any other law forming part of the events which led to commission of offences or any attempt/abetment/conspiracy thereof, under the aforesaid Acts. The jurisdictional Police Station shall continue to have concurrent power of registration and investigation of offences, under the aforesaid Acts.

SUDHIR RAJPAL,
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,
Home Department.

12714—C.S.—H.G.P., Pkl.